214 (4) महांगाई भत्ते का नया फार्मूला—सरकारी उद्यमों मे संबद्ध कर्मचारियों/कामगारों के लिए प्रयोज्यता

अधोहस्ताक्षरी को लोक उद्यम विभाग के तारीख 19.7.995 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का उल्लेख करने का निदेश हुआ है, जिसमें लोक उद्यमों के विभिन्न वेतनमान के कर्मचारियों को तारीख 1.4.92 से 1.4.95 तक देय नए महंगाई भत्ते के फार्मूले एवं औद्योगिक महंगाई भत्ते की दरों का उल्लेख किया गया है (बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों के लिए कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध III का उल्लेख करें)

2. महंगाई भत्ते का नया फार्मूला, जैसाकि बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों के लिए कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध III में संकेत दिया गया है, उन सरकारी उद्यमों के मान्यता प्राप्त यूनियन के कर्मचारियों/कामगारों पर भी लागू होगा जहां लोक उद्यम विभाग के तारीख 12.04.93 एवं 17.1.94 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों और उसी की शर्तों के आधार पर वेतन संशोधन संबंधी करार पहले से ही प्रबंध द्वारा किया जा चुका है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जहां कहीं भी 1.1.92 को त्रैमासिक सूचकांक औसत 1099 तक नहीं है, वहां महंगाई भत्ते का परिकलन 1099 तक ए.आई.सी.पी.आई. में 2/—रू प्रति प्वाइंट शिफ्ट की दर से किया जाएगा और उपर्युक्त 1099 त्रैमासिक सूचकांक औसत में महंगाई भत्ते का परिकलन नए महंगाई भत्ते की स्कीम के अनुसार किया जाएगा।

3. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अवाश्यक कार्रवाई के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत लोक उद्यमों के ध्यान में उपरोक्त बातों को लाएं।

(तारीख 26 जुलाई, 1995 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(50)/86—लो.उ.वि.(डब्ल्यू. सी)